राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

CIC/AJMR/C/2021/106665

परिवाद संख्या 106665/2021

परिवादी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री भीवाराम मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा, ग्राम पोस्ट नयाबास मीण्डा, तहसील–नौवा, जिला–नागौर (राजस्थान) 341551		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपसचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला–अजमेर (राजस्थान) 305001

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांकः 01.11.2021

1. परिवादी स्वयं उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की तरफ से श्री सी.एल.मीणा, सहायक सचिव उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का परिशीलन किया।
4. परिवादी ने आवेदन दिनांक 01.02.2021 के क्रम में प्रथम अपील संख्या 21–22/543 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2021 की पालना नहीं किये जाने के कारण यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।
5. परिवादी ने "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा 18(1) के अन्तर्गत परिवाद दिनांक 07.06.2021 प्रस्तुत किया। इसके अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01.02.2021 पर प्रदत्त प्रत्यर्थी का विनिश्चय तथा प्रथम अपील अधिकारी का निर्णय दिनांक 16.07.2021 नियमविरूद्ध है तथा प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।
6. प्रत्यर्थी ने परिवोदोत्तर दिनांक 26.02.2021 प्रस्तुत किया जिसके अनुसार पत्र दिनांक 26.02.2021 से अपने विनिश्चय से परिवादी को अवगत करवाया गया है। इसके अनुसार प्राप्त सभी आपत्तियों की जॉच

विशेषज्ञों से करवाई गई आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर निर्धारित/डिलीट विशेषज्ञों की राय के आधार पर किये जाते है, विशेषज्ञों की राय/रिपोर्ट "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा 8(1)(घ)(ड)(छ) के अनुसार देय नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग आयुक्त के अन्य अपील 6696/15 जयसिंह बारहठ में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2016 की प्रति संलग्न है।

7. सुनवाई के दौरान परिवादी उपस्थित ने आक्षेप किया कि प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई है तथा अधिनियम के उपबन्धों की अवहेलना की है। प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने परिवादोत्तर में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए परिवाद समाप्त करने का निवेदन किया।

8. मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों पर मनन किया। मेरे मतानुसार प्रत्यर्थी द्वारा प्रदत्त विनिश्चय तथा प्रथम अपील में प्रदत्त निर्णय उचित एवं विधिमान्य है। परिवाद में प्रस्तुत तथ्य वास्तव में परिवादी की परिवेदना है, जिसका समाधान "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" के प्रावधानो के अर्न्गत किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवाद समाप्त करनाा समीचीन हैं।

9. अतः परिवाद उपरोक्तानुसार समाप्त किया जाता हैं।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(नारायण बारेठ)
सूचना आयुक्त

Sanjay